इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर (म.प्र.) 453 771
Mobile No : 87188-69971, Email–sanchi13a@gmail.com

!! साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त करने के लिए 03 (तीन) वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदक इस हेतु वेबसाईट **www.sanchidairy.com** के माध्यम से आवेदन प्रपत्र दिनांक 20.08.2024 प्रातः 11:30 बजे से दिनांक 28.08.2024 दोपहर 2:00 बजे तक ऑनलाईन डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदन के रूपये मूल्य **500/–** ***(अक्षरी रूपये पाँच सौ मात्र)*** का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं आवेदन प्रपत्र में वर्णित प्रमुख आवश्यक अर्हता सम्बन्धी वांछित दस्तावेज तथा EMD राशि रूपये **10,000/–** ***(राशि रूपये दस हजार मात्र)*** के साथ आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर भौतिक रूप से दिनांक 28.08.2024 दोपहर 3:00 बजे तक कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर में जमा करना होंगें। भौतिक रूप से प्राप्त सभी आवेदनों की प्रमुख आवश्यक अर्हताऐं (तकनीकी अर्हताऐं) दिनांक 29.08.2024 दोपहर 03:00 बजे आवेदनकर्ताओं के समक्ष समिति द्वारा खोले जायेंगे। एक से अधिक तकनीकी रूप से सफल आवेदनकर्ताओं का चयन पात्रता मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जावेगा।

किसी भी निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक 4012 दिनांक 16.08.2024 आवेदन मूल्य रू. – **500.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष 2024–2027

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771
Mobile No : 87188-69971, Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पादके सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र समय सारणी

1	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं भौतिक रूप से जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 20.08.2024 से
2	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 28.08.2024 सायं 2:00 बजे तक
3	भौतिक रूप से प्राप्त आवेदनों की तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण करने की तिथि एवं समय	दिनांक 29.08.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि **रूपये 10,000/–** **(*रू दस हजार मात्र*)** डी.डी.पेयबल @ इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
5	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रूपये **500/– (*रू पॉंच सौ मात्र*)** डी.डी. पेयबल @ इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
6	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
7	सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु चयन प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु, आवेदन की पात्रता की न्यूनतम शर्तें एवं प्रमुख आवश्यक अर्हताऐं का प्रारूप।	प्रपत्र 01, 02 एवं 03
8	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04
9	वर्तमान सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की जानकारी (कृपया आवेदक उन दूध एवं दुग्ध उत्पादों का चयन करें जिसका सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त होना चाहते हैं)	प्रपत्र –05

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- आवेदन प्रपत्र क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जाऐंगे।
- आवेदन प्रपत्र की तिथी एवं समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नही होगा। यदि भौतिक रूप से प्राप्त आवेदनों की तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण करने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता हैं, तो EOI के सबंधित दिवस के आवेदन अगले कार्यदिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम

सील

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर (म.प्र.) 453 771

मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिले अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र के जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादसुपरस्टॉकिस्ट हेतुआवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

1. आवेदक / फर्म का नाम–...
2. पिता का नाम –...
3. स्थायी पता –...
   ....(दस्तावेज संलग्न करें।).
   वर्तमान व्यवसाय ....जी.एस.टी.क्रं.........
4. शैक्षणिक योग्यता...
5. जन्मतिथि ....
6. (अ) एफ.एम.सी.जी. व्यवसाय का अनुभव ....
   (ब) दुग्ध व्यवसाय का अनुभव...(दस्तावेज संलग्न करें)
   शहर का नाम (वर्तमान में जहां रहते हैं) ....
7. नवीन कार्य आरंभ करने की स्थिति में जानकारी देवें...
   मोबाईल क्रमांक .... ई–मेल आई.डी. ....
8. आवेदित शहर / अन्य क्षेत्र का नाम ....
   (जिस जगह सुपरस्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं)
9. मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
10. आवश्यक पूंजी, स्टॉफ, वाहनआदि की व्यवस्था :–है / नही ....
11. वर्तमान में किसी एफ.एम.सी.जी. कम्पनी की वितरकशिप है, तो कम्पनी का नाम एवं अनुबंध / कार्यादेश / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (संलंग्न करें यदि उपलब्ध है तो)

मेरे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर ....शहर / अन्य क्षेत्र हेतु सुपरस्टॉकिस्ट कार्य संबंधी इस फॉर्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हुं और मान्य करता / करती हुं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फॉर्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम

सील

(प्रपत्र– 01)

मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिले अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार,अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र के जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की मुख्य शर्ते

1. चयन प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु :–

अ. एक पात्र आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भी आवेदनकर्ता का चयनसाँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट हेतु किया जाएगा।

ब. एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होने की स्थिति में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट का चयन इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया पात्रता मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जावेगा।

क्र.	दुग्ध व्यवसाय में अनुभव	अधिकतम अंक	वितरण नेटवर्क	अधिकतम अंक
1	2 वर्ष	1	50 आउटलेट्स	1
2	3 वर्ष	2	51–100 आउटलेट्स	2
3	4 वर्ष	3	101–150 आउटलेट्स	3
4	5 वर्ष	4	151–200 आउटलेट्स	4
5	6 वर्ष	5	201–250 आउटलेट्स	5
6	7–10 वर्ष	6	251–300 आउटलेट्स	6
7	11–15 वर्ष	7	301–500 आउटलेट्स	7
8	16–20 वर्ष	8	501–750 आउटलेट्स	8
9	21–25 वर्ष	9	751–1000 आउटलेट्स	9
10	25 +वर्ष	10	1000+आउटलेट्स	10

स. एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होने की स्थिति में इन्दौर दुग्ध संघ एक से अधिक साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट का चयन कर उनके मध्य सहमति से क्षेत्र का विभाजन कर सकते हैं।

द. भविष्य में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की संभावित खपत के दृष्टिगत एक ही क्षेत्र के लिए एक से अधिक साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किए जा सकेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम

सील

(प्रपत्र– 02)

2. पात्रता की न्यूनतमशर्तें :–

1. आवेदनकर्ता को पात्रता की प्रमुख आवश्यक अर्हताऐं प्रपत्र–03 अनुसार पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन के साथ आवेदनकर्ता/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
4. चयनित आवेदनकर्ता को संबंधित दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रूपये 1,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है।
5. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट के पास उक्त शहर/अन्य क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट/गोडाउन होना आवश्यक हैं।
6. यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होगा जिसका जिसका एमपीसीडीएफ/इससे संबंद्ध दुग्ध संघों या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में आवेदक पर एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों की नीतियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो ऐसे आवेदन को इन्दौर दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. वर्तमान में जिन आवेदकों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरूद्व आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।
8. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ निर्धारित राशि EMD के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी डी.डी./रसीद भौतिक रूप से आवेदन प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। EMD जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसा आवेदन स्वतः निरस्त माना जाऐगा।

9. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी जब्त करने का अधिकार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा साथ ही ऐसे आवेदन को निरस्त समझा जाऐगा।
10. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट को चयन उपरांत सुपरस्टॉकिस्ट दरों पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी एक्स मिनि डेयरी खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र से दी जावेगी। चयन उपरांत समस्त वित्तीय लेन—देन दुग्ध संघ एवं सुपरस्टॉकिस्ट के मध्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

....
नाम
सील

(प्रपत्र– 03)

प्रमुख आवश्यक अर्हताऐं :–

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य)।	प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर ।	पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3	ओवदनकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर।	जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक।	बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2022-23 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी।
6	आवेदनकर्ता के पास स्वयं का वैद्य FSSAI लायसेंस। (सुपरस्टॉकिस्ट हेतु निर्धारित)	वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7	आवेदन प्रपत्र मूल्य रू. 500/– (***रू पाँच सौ मात्र***) का डी.डी. या मूल एमआर लगाना अनिवार्य।	आवेदन प्रपत्र मूल्य रू. 500/– (***रू पाँच सौ मात्र***) का डी.डी. या मूल एमआर संलग्न करें।
8	ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (***रू दस हजार मात्र***) का डी.डी. पेयबल @ इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ का लगाना अनिवार्य हैं।	ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (***रू दस हजार मात्र***) का डी.डी. संलग्न करें।
9	दुग्धव्यवसाय में अनुभव न्युनतम 2 वर्ष	दिये गये कार्यादेश की छायाप्रति या कम्पनी के लेटर हेड पर अनुभव प्रमाण पत्र।
10	वितरण नेटवर्क–न्यूनतम 50 आउटलेट्स	आउटलेट्स को जारी किए गए देयकों की छायाप्रति
11	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र)	आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर मूल शपथ–पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
12	आवेदनकर्ता का एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों/अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी कार्य हेतु रिकार्ड खराब नहीं हैं। (इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।)	रिकार्ड खराब न होने के संबंध में रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मूल शपथ–पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ''ब'' अनुसार संलग्न करें।
13	आवेदनकर्ता के विरूद्व किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं हैं। (इस बाबत् रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)	आवेदन पत्र के परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ–पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में एमपीसीडीएफ/इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ किसी भी कार्य हेतु अनुबंधित/कार्यरत् हैं व आवेदन प्रस्तुत कर रहें है तो एमपीसीडीएफ/संबंधित दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।	मूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र परिशिष्ट ''द'' अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम

3. सुरक्षा निधि व सामग्री प्रदाय भुगतान संबंधी सामान्य निर्देश :–

1. मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु आवेदनकर्ता का चयन होने पर न्यूनतम 1 .00 लाख प्रतिभूति राशि इन्दौर दुग्ध संघ कार्यालय में एक मुश्त जमा करानी होगी, जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुपरस्टॉकिस्ट को अग्रिम भुगतान पर ही साँचीदूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जावेगा।
2. यह कि भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार **एमपीसीडीएफ** को होगा, जिसे जमा करने हेतु सुपरस्टॉकिस्टबाध्य रहेगा।
3. सुपरस्टॉकिस्ट को चयन उपरांत सुपरस्टॉकिस्ट दरों पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी एक्स मिनि डेयरी खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र से दी जावेगी। चयन उपरांत समस्त वित्तीय लेन–देन दुग्ध संघ एवं सुपरस्टॉकिस्ट के मध्य होगा।

4. मार्जिन के संबंध में सामान्य निर्देश :–

1. मध्यप्रदेश के बाहरके अन्य राज्यों में सुपरस्टॉकिस्ट को प्रपत्र क्रमांक–5 में वर्णित साँची के दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विभिन्न दुग्ध संघों में प्रचलित सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन प्रदाय किया जावेंगा।

5. कार्य अवधि :–

आवेदन स्वीकृति के उपरांत कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं होगा। इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु इन्दौर दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।

6. सुपरस्टॉकिस्ट के दायित्व :–

1. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित लागू समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना सुपरस्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी रहेगी।
2. सामग्री का रख–रखाव/भण्डारण हेतु व्यवस्था सुपरस्टॉकिस्ट को स्वयं के व्यय से करनी होगी। विद्युत एवं जल बिल का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किया जाएगा।
3. सुपरस्टॉकिस्ट को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित सुपरस्टॉकिस्ट की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में यह कार्य संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी, कार्य संबंधी समस्त लेनदारी–देनदारी का निराकरण करेगा।

4. सुपरस्टॉकिस्ट तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी सुपरस्टॉकिस्ट के विरूद्व कार्यवाही की जाती है, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा।
5. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
6. इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट कार्य आवंटन की स्थिति में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादविक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
7. इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सुपरस्टॉकिस्ट साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
8. सुपरस्टॉकिस्ट को उससे क्रय किए गय`दूध एवं दुग्ध उत्पाद के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
9. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा साँची ब्राण्ड की पैकिंग का दुरूपयोग पाया जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ–साथ ठेका निरस्ती की कार्यवाही भी की जावेगी।
10. सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय केवल निर्धारित क्षेत्र में ही करना होगा अर्थात् साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय म.प्र. राज्य के अन्दर नही किया जा सकेगा। यदि ऐसा करते पाये जाते हैं तब कार्य आवंटन समाप्त किया जावेगा।
11. **साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की शेल्फ लाईफ सीमित होती है। अतः सुपरस्टॉकिस्ट का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं दुग्ध उत्पाद की अग्रिम माँग शेल्फ लाईफ को देखते हुए देवे एवं निर्धारित समयवधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित किये वितरण/विक्रय करे।**

7. अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया :–

1. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा इस कार्य का दुरूपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। **(दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी।)**

   (ख) सुपरस्टॉकिस्ट अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा। किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक की 25 प्रतिशत दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटि्स इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटि्स प्राप्त कर लिया माना जावेगा। **(सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि का 25 प्रतिशत जब्त की जावेगी।)**

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम

सील

2. सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं संपूर्ण ई.एम.डी. भी जब्त की जा सकेगीं।
3. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि दुग्ध संघ द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा राशि का रिफन्ड लेने के पूर्व सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन व क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी व देनदारी व पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।

अन्य सामान्य शर्ते

1. एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन की समस्त शर्ते भी अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।
2. दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
3. अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ का होगा, जिसकी सूचना सुपरस्टॉकिस्ट को दी जावेगी एवं सुपरस्टॉकिस्ट को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
4. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों का स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ के पास सुरक्षित रहेगा।

9. विवाद का निराकरण :–

1. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
3. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर शहर का न्यायालय होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

परिशिष्ट (अ)

एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघों के माननीय अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम – ....
पिता – ....
आयु – ....
निवासी – ....

01– इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में शहर/अन्य क्षेत्र (स्थान का चयन करें) में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्टके कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूं।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्रकी पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

परिशिष्ट (ब)

एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघो या अन्य किसी भी स्थानीय दुग्ध संघों में रिकार्ड खराब नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	–	....
पिता	–	....
आयु	–	....
निवासी	–	....

1– मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हॅू कि इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में शहर/अन्य क्षेत्र(स्थान का चयन करें) में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्टके कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि, मेरा एमपीसीडीएफ, भोपाल/इससे संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण रिकार्ड खराब नहीं है।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

परिशिष्ट (स)

किसी भी पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—	....
पिता	—	....
आयु	—	....
निवासी	—	....

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा मिनि डेयरी संयंत्र खण्डवा, खरगोन एवं सेंधवा से मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य के जिलें अहमद नगर, नासिक, धुलिया, छत्रपति संभाजी नगर, नन्दूरबार, अकोला, शेगांव, अमरावती, विदर्भ महाराष्ट्र तथा अन्य महाराष्ट्र के जिलों में शहर/अन्य क्षेत्र (स्थान का चयन करें) में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट के कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया हैं। मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि, मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ....शहर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

परिशिष्ट (द)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स ....वर्तमान में एमपीसीडीएफ/.................. सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... के साथ .... के रूप में कार्यरत् हैं तथा आज दिनांक ....तक की स्थिति में श्री/श्रीमती/मेसर्स की तरफ एमपीसीडीएफ/........................... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... की कोई भी लेनदारी शेष नहीं हैं। श्री/श्रीमती/मेसर्स .... को ....शहर/अन्य क्षेत्रमें साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट के कार्य हेतु आवेदन में भाग लेने पर एमपीसीडीएफ/........................... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ...को कोई आपत्ति नहीं हैं।

जारी दिनांक :–

एमपीसीडीएफ, भोपाल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर

(प्रपत्र– 04)

म.प्र. के राज्य के बाहर ....शहर/अन्य क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट हेतु अनुबंध–प्रपत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) एवं श्री/श्रीमती/मेसर्स .... आत्मज/पति/प्रोपराइटर .... आयु .... वर्ष, निवासी .... शहर/अन्य क्षेत्र में (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया है :–

1. यह कि प्रथम पक्ष साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादके वितरण/विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर द्वितीय पक्ष को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के वितरण/विक्रयहेतु अधिकृत करता हैं।
2. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा इस कार्य का दुरूपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। **(दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी।)**

   (ख) सुपरस्टॉकिस्ट अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा। किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में वितरक की 25 प्रतिशत दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटि्स इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटि्स प्राप्त कर लिया माना जावेगा। **(सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि का 25 प्रतिशत जब्त की जावेगी।)**
3. कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं

पाए जाने पर एक माह का नोटि्स देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

4. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि प्रथम पक्ष द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रू................. (अक्षरी..........................रूपये मात्र) का रिफन्ड लेने के पूर्व सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
5. द्वितीय पक्ष को ....शहर/क्षेत्र मेंसाँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट स्वरूप कार्य करने हेतु रू. 1,00,000/– (अक्षरी एक लाख रूपये मात्र) (नगद के रूप में) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष को केवल अग्रिम भुगतान पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
6. यह कि भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
7. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से कार्य संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
8. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की शेल्फ लाईफ सीमित होती है। अतः सुपरस्टॉकिस्ट का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं दुग्ध उत्पाद की अग्रिम माँग शेल्फ लाईफ को देखते हुए देवे एवं निर्धारित समयवधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित किये वितरण/विक्रय करे।
9. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा आवंटित कार्य समय–समय पर सूचित समय सारणी अनुसार करना अनिवार्य होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मूल्य तालिका से संबंधित को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
11. द्वितीय पक्ष को सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने यह कार्य दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/ किराये पर दिया तो कार्य आवंटन निरस्त कर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

13. यह कि सामग्री रख–रखाव हेतु गोडाउन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. सुपरस्टॉकिस्ट के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट/गोडाउन होना चाहिये।
15. सुपरस्टॉकिस्ट तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी सुपरस्टॉकिस्ट के विरूद्व कार्यवाही की जाती है, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
16. दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. यह कि कार्य पर होने वाले व्यय जैसे किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
18. प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादकी पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा सीधे संबंधित दुग्ध संघ के निर्धारित बैंक में अग्रिम जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी।
19. प्रदायकर्ता दुग्ध संघ को द्वितीय पक्ष प्रदाय किये गये साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही दुग्ध संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू. 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू. 1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू. 2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से 7 दिवस की भीतर सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8 वें दिवस से 14 वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू. 2000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू. 4000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ—साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15 वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू. 3000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू. 6000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

20. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकें।

21. क्योंकि द्वितीय पक्ष अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

22. सुपरस्टॉकिस्ट को प्रथम पक्षकार (दुग्ध संघ) यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद वितरण/विक्रयहेतु निर्देशित करेगा तो सुपरस्टॉकिस्ट को वितरण/विक्रय करना अनिवार्य होगा।

23. यह कि दुग्ध संघ द्वारा सामग्री की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही सामग्री प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण/विक्रय करेंगे। प्राप्ति के उपरांत सामग्री की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

24. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सुपरस्टॉकिस्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।

25. यह कि सुपरस्टॉकिस्टके प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल, केन, क्रेटस्, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट—फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करनी होगी।

26. यह कि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के जार, बॉक्स, पैकेट का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ के खाली क्रेट्स/बॉक्स/पैकेट का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटि्स देकर कार्यवाही की जाएगी।
27. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।
28. यह कि शासन/प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के भंडारण/वितरण/विक्रय संबंधी जो भी नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
29. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगे।
30. मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार निर्धारित मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों हेतु सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य पृथक हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्यप्रदेश के बाहर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय मध्यप्रदेश के अन्दर न हो। किसी विशेष क्षेत्र हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात् मार्जिन/कमीशन/मूल्य एवं पैकिंग का दुरूपयोग न हो।
31. अनुबंधित सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर प्राप्त करने होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मांग की आपूर्ति किया जाना संभव न हो तो अन्य दुग्ध संघों से सुपरस्टॉकिस्ट स्वयं के परिवहन व्यय पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे।
32. दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट कार्य आवंटन की स्थिति में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादके विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
33. सुपरस्टॉकिस्ट को उससे क्रय किये गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
34. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
35. दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाऐंगे।

36. सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप एवं इसकी समस्त शर्ते भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत् प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
37. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निरकारण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
38. यह कि अनुबंध के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षय न्यायालय को होगा।
39. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र दुग्ध संघ मुख्यालय के शहर का न्यायालय होगा।
40. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
41. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के अनुबंध हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया हैं।

दिनांक :–..............................

गवाह :– **हस्ताक्षर**

1. हस्ताक्षर :–.. **1. प्रथम पक्ष**
नाम :– ....
पता :– ....

2. हस्ताक्षर :–.. **2. द्वितीय पक्ष**
नाम :– ....
पता :– ....

x----------x----------x---------- **समाप्त**----------x----------x----------x

(प्रपत्र– 05)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की सूची दर सहित

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

S.NO	MILK TYPE			SUPER STOCKIST BILLING RATE
1	SANCHI GOLD 6 LTR			372.900
2	SANCHI GOLD 1 LTR			61.150
3	SANCHI GOLD 500 ML			31.075
4	SANCHI GOLD 200 ML			13.730
5	SANCHI SHAKTI 500 ML			28.075
6	SANCHI CHAH 1 LTR			52.150
7	SANCHI SMART 500 ML			22.075
8	SANCHI SMART 160 ML			7.030
9	SANCHI CHAI SPECIAL 1 LTR			48.150
10	SANCHI LITE 500 ML			19.075
11	SANCHI COW MILK 500 ML			26.075
12	SANCHI COW MILK 5 LTR			260.750
13	SANCHI CHAI SPECIAL 5 LTR			240.750
14	SANCHI TAZA 500 ML			24.075

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
PHONE NO. (0731) 2802535 , 4021402
Fax No. 0731-2802559

WITH GST

PARTICULARS		SUPER STOCKIST
SANCHI GHEE	100 ML(90PKT)	58.84
	200 ML (60PKT)	113.05
	500 ML (32PKT)	278.70
	1 LTR(16PKT)	548.79
	05 LTR JAR	2791.49
	15 KG JAR	8880.00
	COW 1 LTR(16PKT)	598.80
	COW 5 LTR JAR	3016.51
	COW 5 KG TIN	3392.00
	COW 15 KG TIN	9080.00
SANCHI S.M.P.	250 GM	93.00
	1 KG	362.00
TABLE BUTTER	100 GM	46.50
	500 GM	239.00
	10 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	102.72
	10 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	171.20
	20 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	102.72
	20 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	171.20
SHREEKHAND	100 GM CUP	24.00
	5 KG PKT	1010.00
LASSI LITE	200 ML POUCH	16.00
LASSI	200 ML GLASS	24.00
BUTTER MILK	200 ML PKT (Salted)	6.50
	500 ML PKT (PLAIN)	13.25
	5 LTR PKT (PLAIN)	102.00
FLAVORED MILK	200 ML BOTTLE	24.23
	200 ML PKT	15.80
	180 ML BOTTLE	19.23
	200 ML PP BOTTLE	24.00
CHAKKA	1 KG	170.00
PLAIN CURD	400 GM PKT	27.00
CURD	1 KG PKT	65.00
	200 GM PKT	21.50
CURD	5 KG	300.00
BIO MAGIC CURD	100 GM	9.00
PANEER	1 KG	350.00
	250 GM	91.00
	100 GM	41.00
CHHENA RABDI	100 GM	24.00
	1 KG	253.00
	5 KG	1210.00
PEDA	1 KG	329.00
	500 GM	171.00
	250 GM	88.00
	02 NO. (35 GM)	14.00
RASGULLA	500 GM (TIN)	85.55
	1 Kg	174.00
GULABJAMUN	500 GM (TIN)	97.50
	1 Kg	190.00
MAWA	5 KG	1705.00
	1 KG	360.00
	500 GM	181.00
	250 GM	89.00

MAWA	5 KG	1705.00
	1 KG	360.00
	500 GM	181.00
	250 GM	89.00
GULABJAMUN MAWA	5 KG PKT	1630.00
THANDAI	*200 ML POUCH*	*17.55*
	180 ML BOTTLE	19.00
LOW FAT PANEER	5 KG	943.50
	1 KG	199.00
	500 GM	102.00
SANCHI PREMIX COFFEE LITE	20 GM (PKT)	8.00
	1 KG (POUCH)	320.00
GULABJAMUN MIX	200 GM (PKT)	63.00
SANCHI COMBO PACK (MISHRIT MITHAI)	1 (KG)	300.00
	98 GRAM	28.85
SANCHI PREMIX CHAI	20 GM (POUCH)	8.25
	1 KG (PKT)	356.80
PRASADI PEDA	120 GRAM PKT	39.00
	240 GRAM PKT	77.00
COMBO PACK -2	1 KG GULABJAMUN+ 1 KG RASGULLA	294.00
PEDA SPECIAL	250 GM.PKT	98.00
	500 GM PKT	191.00
	1 KG PKT	369.00
	1.5 KG PKT	519.00
GOAT MILK	200 ML FLAVOURED BOTTLE	22.40
SANCHI COOKIES	BUTTER COOKIES 75 GM PKT	17.20
	BUTTER COOKIES 150 GM PKT	46.52
	BUTTER COOKIES 300 GM PKT	93.05
	JEERA COOKIES 75 GM PKT	17.20
	JEERA COOKIES 150 GM PKT	46.52
	JEERA COOKIES 300 GM PKT	93.05
	CHOCOLATE COOKIES 75 GM PKT	17.20
	CHOCOLATE COOKIES 150 GM PK	51.52
	CHOCOLATE COOKIES 300 GM PK	103.05
	COCONUT COOKIES 75 GM PKT	17.20
	COCONUT COOKIES 150 GM PKT	51.52
	COCONUT COOKIES 300 GM PKT	103.05
SANCHI KACHI KERRY CURD	KACHI KERRY CURD 100 GM CUP	11.95
SANCHI BRAJ PEDA	500 GM PKT	191.00
SANCHI BESAN LADOO	02 NO.(65 GRAM)	16.95
	250 GM PKT	88.75
	500 GM PKT	167.50
	1 KG	315.00
SANCHI MILK CAKE	250 GM PKT	103.00
	500 GM PKT	191.00
SANCHI HEALTH VITA PLUS	200 GM PKT	82.31
	750 GM PKT	271.14
	1 KG PKT	346.15
COLD COFFEE PP BOTTLE	200 ML	29.17
UGAR FREE FLAVOUED MILK PP BOTT	200 ML	25.00